

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(1)रथा / संबल / पार्ट- /

दिनांक:

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क-2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2)कार्मिक (क-2)05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या प12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प 16 (5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प 1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय –समय पर हुये विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV एवं अधिसूचना संख्या एफ14(1)एफडी(रूल्स)2013- II , दिनांक 28.08.2013 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला पी. बी. 1 – 5200–20200 (9) ग्रेड पे रूपये 2800/- में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (probation trainee) के रूप में रूपये 11820/- प्रति माह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्त निम्न शर्तों पर करते हुए इनका पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सन्तोषप्रद (Antecedent Certificate) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्यग्रहण किया जा सकेगा।
3. विवाहित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र” एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न नहीं होने सम्बन्धी रु 10/- के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हे पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प13(1)एफ.डी./रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.04 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
7. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके अधीन कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यार्थी से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस विभाग के रिकॉर्ड अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र आदि की जाँच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भलीभांति कर कार्य ग्रहण करवायेंगे तथा इनकी सत्यापित प्रतिया रिकार्ड में रखेंगे। किसी विवादग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेंगे।
8. इन अभ्यार्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निररत समझे जावेंगे।

9. उपरोक्त अभ्यार्थियों का चयन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पशुधन सहायक भर्ती 2013 के कम में विचाराधीन/लम्बित है किसी भी याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

क्रम	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	पदस्थापित स्थान
1	श्री महेन्द्र कुमार धाकड़	श्री सत्यनारायण धाकड़	02.05.1992	उपकेन्द्र सवारिया, टॉक
2	श्री मनोष कुमार जांगिड़	श्री सियाराम जांगिड़	03.07.1984	प.चि. आवा, टॉक
3	श्री राजवीर सिंह	श्री पट्टुराम खीचड़	01.01.1990	उपकेन्द्र बोसाना, सीकर
4	श्री कमलेश सैन	श्री रामपाल सैन	01.04.1990	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
5	श्री अर्जुन राम	श्री हनुमानाराम	08.10.1989	प.चि. पचाला, टॉक
6	श्री महेश कुमार पौटर	श्री रामचरण पौटर	15.07.1991	उपकेन्द्र गणेशपुरा, बारां
7	श्री मुकेश कुमार चौधरी	श्री सुरजमल चौधरी	21.01.1991	उपकेन्द्र चौगाइ, टॉक
8	श्री प्रदीप सिंह	श्री हरीसिंह	10.06.1979	उपकेन्द्र न्योलखी, हनुमानगढ़
9	श्री महेश कुमार	श्री महेन्द्र सिंह	20.04.1991	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
10	श्री मंजीत कुमार	श्री विरेश कुमार	20.02.1992	प्र.श्रे.प.चि. अरलीगढ़, टॉक
11	श्री राजकुमार रैवार	श्री बजंरगसिंह रैवार	26.09.1985	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
12	श्री मुकेशचंद छिंपी	श्री जगदीश प्रसाद छिंपी	07.03.1986	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
13	श्री राजेश कुमार सैनी	श्री गोपाललाल सैनी	01.07.1990	उपकेन्द्र चांवडेडा, दौसा
14	श्री किशोर सिंह	श्री आईदान सिंह	18.02.1989	उपकेन्द्र चाहुवाली, हनुमानगढ़
15	श्री बालचंद डांगी	श्री हजारीलाल डांगी	24.09.1991	उपकेन्द्र धरोनिया, झालावाड़
16	श्री पवन कुमार	श्री पारसराम	08.08.1992	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
17	श्री कमलेश कुमार	श्री गुलजारीलाल	23.07.1988	प.चि. भोजासर, झुन्झूनू
18	श्री नरेश कुमार	श्री बगरावत	25.05.1988	उपकेन्द्र सेमली, बारां
19	श्री बनवारीलाल जितरवाल	श्री रामेश्वरलाल जितरवाल	11.02.1990	उपकेन्द्र सोलाया, नागौर
20	श्री मनमोहन सिंह	श्री गंगाधर	02.07.1991	उपकेन्द्र मोखमपुरा, बारां
21	श्री विकमसिंह गुर्जर	श्री जयकिशन	02.01.1989	उपकेन्द्र मूदडा, चुरू
22	श्री गुजरात सिंह गुर्जर	श्री रघुवीरसिंह गुर्जर	01.01.1990	ग्रामीण ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर
23	श्री मुनेश कुमार गुर्जर	श्री रामप्रसाद गुर्जर	02.01.1988	प.चि. मोहम्मदगढ़, टॉक
24	श्री नथुलाल खराड़ी	श्री भरतलाल खराड़ी	08.08.1985	उपकेन्द्र माणडवा, झूगरपुर
25	श्री संजय पारगी	श्री गौतमलाल पारगी	05.10.1985	उपकेन्द्र कोलासर, चुरू
26	श्री किरन कलासुआ	श्री भीमराज	16.04.1989	प.ओ. पलाई, टॉक बी.ए के पद विरुद्ध

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था / संबल / पार्ट- / ७९३ - १०१६

दिनांक: ११/०१/२०१७

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित अति निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी।
7. सम्बन्धित आभ्यार्थी (नाम से)
8. निजी पंजिका / रक्षित पंजिका



निदेशक